न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 61/2022

जगदीश

बनाम

कृष्ण बिहारी आदि

प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने पत्थरगढ़ी

निर्णय

निर्णय दिनांक 20.12.2022

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम ईसरपुरा पटवार हल्का हमीरी कलां में भूमि ख0न0 250/68 रकबा 0.08 है0, ख0न0 253/112 रकबा 1.05 है0, ख0न0 274/201 रकबा 0.53 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.66 है0 भूमि अवस्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी काश्तकार की भूमि है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी काश्तकार की उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान नियमानुसार कराया जा चुका है। उक्त वर्णित भूमि की बार–बार नपती नहीं करनी पड़े व सीमाज्ञान नही कराना पड़े इसलिये पटवारी द्वारा दिनांक 19.04.2022 को बताये गये सीमाज्ञान के आधार पर पत्थर गड्डी करवाना चाहता है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी मुताबिक सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से एडवोकेट विजयपाल प्रथम ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अस्पष्ट एवं आधारहीन होने से कानुनन पोषणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा नपती व सीमाज्ञान उचित तरीके से नहीं करवाया है इसलिये नपती व सीमाज्ञान का तथ्य स्वीकार नहीं है। कथित आवेदक जगदीश व उसके अन्य भाईयों सुखवीर, अन्नावेदक संख्या 1 कृष्णबिहारी तथा स्व0 भागीरथ के वारिसान के मध्य दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मु0न0 पुराना 380/2008 नया 35/2015 में आपसी राजीनामा के आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2015 को पारित हुई जिसकी पालना में दिनांक 18.01.2016 को नामान्तरकरण उनके हक में दर्ज हो जाने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 ने उनके हिस्से में प्राप्त भूमि पर कब्जे काश्त के अनुसार अपनी सीमाओं पर तारबंदी कर ली थी जो वर्तमान में कायम है। प्रार्थी जगदीश ने भी उसके हिस्से में तय कृषि भूमि की दक्षिण सीमा पर तारबंदी कर ली थी। इस प्रकार बिना किसी कारण के पत्थरगड्डी करवाये जाने का आवेदन पेश करना cause of action के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानुन पोषणीय नहीं होने से खारीज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 परफोरमा पक्षकार होने से इनके जवाब की आवश्यकता नहीं होने से सीधे बहस विद्वान अधिवक्तागण श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया साथ ही कथन किया अप्रार्थी द्वारा पत्थरगड्डी का प्रार्थना पत्र पेश करने के उपरान्त तारबंदी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी काश्तकारी की भूमि की तारबंदी करवाना चाहता है जो नियमानुसार एवं न्यायोचित

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र में उचित धाराओं का उल्लेख नहीं करने, प्रार्थना पत्र में पत्थरगड्डी का कोई आधार या कारण नहीं होने और मौके पर पूर्व से राजीनामा के आधार पर विभाजन के उपरान्त तारबंदी करवाये जाने से उक्त तमाम तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारीज करने का निवेदन किया। इसके समर्थन में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 के प्रावधान की प्रति तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरडी–2017 पेज 289 अपील संख्या 5752/2015 उनवानी राजेन्द्र सिंह बनाम सतवीरसिंह व अन्य सदस्य माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर निर्णय दिनांक 08.03.2017 पेश की। हमने पत्रावली एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 के प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांत का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के जवाब एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पर मनन किया। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि का तहसीलदार मलसीसर से दिनांक 20.04.2022 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया है जिसकी सत्य प्रतिलिपि पत्रावली में सलंग्न है। प्रार्थी अपनी खातेदारी काश्तकारी की भूमि पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी करवाना चाहता है जो न्यायसंगत है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब एवं बहस के दौरान कोई ऐसा तथ्य पेश नहीं किया जिससे प्रार्थी की पत्थरगड्डी से अप्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़े और अप्रार्थी के काश्तकारी हितों पर गम्भीर कुठाराघात हो। तमाम तथ्यों, दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये पर ग्राम ईशरपुरा पटवार हल्का हमीरी कलां स्थित भूमि ख0न0 250/68 रकबा 0.08 है0, ख0न0 253/112 रकबा 1.05 है0, ख0न0 274/201 रकबा 0.53 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.66 है0 भूमि की मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/12

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर